न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/223

1. महावीर आयु 40 वर्ष आत्मज रामकरण जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. छोटूलाल आयु 35 वर्ष आत्मज रामकरण जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. ललिता आयु 68 वर्ष पत्नी रामकरण जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सोहन लाल आत्मज मोतीलाल जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. कैलाश आत्मज मोतीलाल जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. मधुबाला पुत्री मोतीलाल जाति कुमावत निवासी खटावदा हाल निवासी कांटी तहसील व जिला बून्दी ।
4. भूरी बाई पत्नी मोतीलाल जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. मदनलाल आत्मज भैरूलाल जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. मोहनलाल आत्मज भैरूलाल जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. दुर्गालाल आत्मज रामकरण जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय दबलाना जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मुकेश शर्मा, शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र जैन, रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 6 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 30.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट कम 1 लगायत 3 एवं वादी रेस्पोडेन्ट कम 5 लगायत 7 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में कुल किता 13 की रकबा 42 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है जिसमें वादीगण कम 1 लगायत 4 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 5 व 6 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी मोती का 1/3 हिस्सा निहित है । पक्षकारान काफी समय पूर्व से पारिवारिक समझौते के अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाकर पृथक–पृथक खाते दर्ज करावे एवं प्रथक–पृथक लगान कायम करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जाकर पक्षकारान के पृथक–पृथक खाते दर्ज की जावे तथा पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.06.2014 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए प्रारम्भिक डिक्री कर दिया तथा तहसीलदार हिण्डोली को मौका कमीश्नर नियुक्त कर विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत कैम्प अणतगंज में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 10.06.2015 के द्वारा अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.06.2015 से व्यथित होकर वादी कम 01, वादी कम 03 व वादी कम 04 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 18.06.2014 को प्रारम्भिक डिक्री पारित करने के उपरान्त तहसीलदार हिण्डोली को मौका कमीश्नर नियुक्त किया था परन्तु विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 02.02.2015 को तैयार की गई जो विधिक प्रकिया के विपरीत है । तहसीलदार जी को मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए थी । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम केका प्रस्तुत कर कथन किया अपीलान्टगण को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव अंतिम डिक्री की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी । दिनांक 03.09.2020 को जब अप्रार्थी कम 5 व 6 व मोती के वारिस अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 ने खसरा नम्बर 211 में प्रार्थी के कब्जे की भूमि पर जहॉ कुआ खोद रखा है, छप्पर बना रखा है व विद्युत कनेक्शन लिया है उक्त भूमि को बेचान करने हेतु केता को लेकर भूमि पर आये और केता को भूमि दिखाई । जिस पर प्रार्थीगण ने दूसरा वकील नियुक्त कर दिनांक 10.09.2020 को नकल हेतु

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 11.09.2020 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम खटावदा तहसील हिण्डोली में खसरा नम्बर 197, 198, 199, 204, 209, 211, 290, 574, 575, 576, 577, 578 कुल किता 12 की 43 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के बाबत् पक्षकारान ने परीक्षण न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था । परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 5 व 6 भी वादी के रूप में संयोजित थे जिनमें से मोहनलाल चालाक व्यक्ति है जिन्होंने अपीलान्ट कम 03 विकलांग अनपढ महिला होने व अपीलान्ट कम 1 व 2 अनपढ काश्तकार होने का अनुचित फायदा उठाकर अपीलान्ट के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि रेस्पोडेन्ट कम 5 व 6 ने अपने कब्जे में होना बताकर उनके बंटवारे में रखवा ली जबकि खसरा नम्बर 211 पर अपीलान्ट के पति द्वारा कुआ खुदवा रखा है जिसमें विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है इसके बावजूद खसरा नम्बर 211 की भूमि रेस्पोडेन्ट मदनलाल व मोहन लाल ने अपने बंटवारे में दर्ज करवा ली । इसके साथ ही भूमि खसरा नम्बर 290 की भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है । उक्त भूमि नारायण बैरवा व छोटूलाल शर्मा के कब्जे काश्त में होने के बावजूद उक्त भूमि अपीलान्ट के हिस्से में रखवाकर रेस्पोडेन्ट कम 5 व 6 ने रास्ते के सहारे की भूमि को अपने हिस्से में रखवाकर वाद अंतिम डिक्री करवा लिया । विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी ने तैयार किये है जबकि परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.06.2014 में तहसीलदार हिण्डोली को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया है । नक्शे पर भी पटवारी के ही हस्ताक्षर हैं । इस प्रकार राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 का उल्लंघन किया गया है । विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार जी के हस्ताक्षर नहीं होने व बंटवारा रिपोर्ट पर बिना अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में पत्रावली लोक अदालत में दिनांक 10.06.2015 को ले जाकर अपीलान्ट को सुने बिना निर्णित कर दी । अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए न ही उनके आदेशिका पर हस्ताक्षर हैं । राजीनामे पर बहका कर हस्ताक्षर करवाएं तथा राजीनामे पर हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.06.2015 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2014 (1) पेज 258, आरआरटी 2001 (2) पेज 1233, आरआरटी 2011 (2) पेज 1095 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टगण द्वारा उक्त अपील परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव अंतिम डिक्री दिनांक 10.06.2015 के विरूद्ध दिनांक 15.09.2020 को न्यायालय हाजा में पेश की है जो लगभग 05 वर्ष के विलम्ब से पेश की है और विलम्ब के कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताए हैं । अपीलान्टगण ने परीक्षण न्यायालय में राजीनामे पर हस्ताक्षर किये हैं । अपीलान्ट कम 03 ललिता के अंगूठा निशानी के हस्ताक्षर हैं । दिनांक 02.02.2015 को विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं । विभाजन प्रस्ताव पर ही अपीलान्टगण के हस्ताक्षर हैं जिनमें अपीलान्ट कम

03 ललिता के अंगूठा निशानी के हस्ताक्षर हैं । अपीलान्टगण परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हुए हैं और उनकी उपस्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय एंव अंतिम डिक्री पारित की है अंतिम डिक्री अपीलान्टगण की सहमति के आधार पर पारित की है । अपीलान्टगण के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री की पालना में वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के पृथक–पृथक खाते दर्ज हो चुकी है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.06.2015 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2006 (एससी) पेज 2817, डीएनजे 2016 (1) पेज 201, डीएनजे 2017 (3) पेज 1054, डीएनजे 2016 (4) पेज 1729 सीपीसी धारा 96 (3), डीएनजे 2022 (एससी) पेज 346 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्टगण द्वारा उक्त अपील परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव अंतिम डिक्री दिनांक 10.06.2015 के विरूद्ध दिनांक 15.09.2020 को न्यायालय हाजा में पेश की है जो लगभग 05 वर्ष के विलम्ब से पेश की है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन में अपील विलम्ब से पेश किये जाने के मुख्यतः तीन कारण बताएं हैं – अपीलान्ट को जानकारी का अभाव, अनपढ होना तथा अपीलान्ट कम 03 ललिता का विकलांग होना । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने इस सम्बन्ध में कथन किया है कि यदि दिनांक 10.06.2015 को लोक अदालत/परीक्षण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे तो पूर्व में परीक्षण न्यायालय द्वारा नियत तिथि दिनांक 11.06.2015 को देखते । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा प्रपत्र जिसमें अपीलान्टगण कम 1 व 2 के हस्ताक्षर हैं तथा अपीलान्ट कम 03 ललिता के अंगूठा निशानी के हस्ताक्षर हैं । उक्त राजीनामा प्रपत्र पर दो पहचानकर्ता के भी हस्ताक्षर हैं और उक्त राजीनामे प्रपत्र पर पीठासीन अधिकारी एवं सदस्य लोक अदालत के भी हस्ताक्षर हैं । ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्ट की पहचान नहीं हुई तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री की अपीलान्टगण को कोई जानकारी नहीं थी । परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2015 को विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई है । वादी की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री भंवर लाल गुर्जर एवं प्रतिवादी की ओर से स्वयं की उपस्थिति में अंतिम डिक्री पारित की गई है । विद्वान् अभिभाषक श्री भंवर लाल गुर्जर परीक्षण न्यायालय में अपीलान्टगण के अभिभाषक रहे हैं । ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री की अपीलान्टगण को कोई जानकारी नहीं थी । इन तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे संतोषप्रद एवं उचित प्रतीत नहीं होते हैं । अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में उक्त अपील लगभग 05 वर्ष 03 माह के विलम्ब से पेश की है और विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे स्वीकार योग्य नहीं हैं । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण अवधि बाधित होने से निरस्तनीय है । अतः इसमें गुणावगुण के आधार पर विवेचना का कोई औचित्य नहीं है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2021/223

1. महावीर आयु 40 वर्ष आत्मज रामकरण जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. छोटूलाल आयु 35 वर्ष आत्मज रामकरण जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. ललिता आयु 68 वर्ष पत्नी रामकरण जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. सोहन लाल आत्मज मोतीलाल जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. कैलाश आत्मज मोतीलाल जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. मधुबाला पुत्री मोतीलाल जाति कुमावत निवासी खटावदा हाल निवासी कांटी तहसील व जिला बून्दी ।
4. भूरी बाई पत्नी मोतीलाल जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. मदनलाल आत्मज भैरूलाल जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. मोहनलाल आत्मज भैरूलाल जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. दुर्गालाल आत्मज रामकरण जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय दबलाना जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

1. ललिता आयु 68 वर्ष पत्नी रामकरण जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. महावीर आयु 40 वर्ष आत्मज रामकरण जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. छोटूलाल आयु 35 वर्ष आत्मज रामकरण जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. मदनलाल आत्मज भैरूंलाल जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. मोहनलाल आत्मज भैरूलाल जाति कुमावत निवासी खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

----वादी

बनाम

1. मोती आत्मज भंवरा जाति कुमावत निवासी ग्राम खटावदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

--प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 30.06.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री मुकेश शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 6 की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र जैन के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 30.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा